छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 43/2006

कन्हैया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर /-
(दिलीप रावसाहेब देशमुख)
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 43/2006</u>

कन्हैया

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री डी.के. ग्वालेरे, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता/ अतिरिक्त लोक अभियोजक।

<u>मौखिक निर्णय</u>

(दिनांक 17/02/2006 को उच्चारित)

1. यह अपील श्री ए.के. गायकवाड़, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 146/2004 में दिए गए दिनांक 25.10.2005 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत अपीलार्थी कन्हैया को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सिद्धदोष पाया गया था और उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 100/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, और जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन के सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया गया था।

2. यह निर्विवाद है कि अभियोक्त्री (पीड़िता) अभिसाक्षी–1 हेमलाल अभिसाक्षी–6 और सुखबाई अभिसाक्षी–13 की पुत्री है।

3. संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि 22.4.2004 को अभियोक्त्री अपनी सहेली आशा की शादी में शामिल होने ग्राम सोनपुरी गई थी। शादी समारोह के बाद, जब वह गोमती अभिसाक्षी–4 के साथ घर लौट रही थी, तो नदी के पास उनकी मुलाकात अपीलार्थी और 3 अन्य सह–अभियुक्तों, यथा येमन कुंभकार, रमेश @ रामेश्वर और नरेंद्र कुमार से हुई। अपीलार्थी ने बलपूर्वक अभियोक्त्री को नदी की ओर ले गया और उसके साथ बलात्कार कारित किया, जबकि उपर्युक्त सह–अभियुक्त पहरा दे रहे थे। बलात्कार के बाद, अभियोक्त्री गोमती अभिसाक्षी–4 के साथ गांव लौट आई। उसने घटना के बारे में अपनी मां सुखबाई अभिसाक्षी–13 और लगभग 19 वर्ष के भाई चंद्रशेखर अभिसाक्षी–5 को सूचित किया। हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट 29.4.2004 को काफी देरी से दर्ज की गई, जिसमें उल्लेख किया गया था कि चूंकि अभियोक्त्री के पिता गांव से बाहर गए हुए थे, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी हुई।

4. अभियोक्त्री को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. श्रीमती एस. सावंत अभिसाक्षी–14 ने अभियोक्त्री की परीक्षण की और पाया कि वह पूरी तरह विकसित महिला थी जिसके सभी 32 दांत निकल चुके थे। अभियोक्त्री के आंतरिक परीक्षण के दौरान, डॉ. श्रीमती एस. सावंत अभिसाक्षी–14 को शरीर के किसी भी हिस्से पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चोट का कोई निशान नहीं मिला। योनि में दो उंगलियां आसानी से डाली जा सकती थीं। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर, प्रदर्श पी–15 के अनुसार; डॉ. श्रीमती एस. सावंत अभिसाक्षी–14 द्वारा अभियोक्त्री पर बलात्कार किए जाने के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकी। अपीलार्थी कन्हैया का भी डॉ. एस.के. अग्रवाल अभिसाक्षी–15 द्वारा परीक्षण किया गया और पाया गया कि अपीलार्थी यौन संबंध बनाने में सक्षम था।

5. अभियोक्त्री की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थिशोधन परीक्षण (अस्थि–परीक्षा) डॉ. ए.के. साहू अभिसाक्षी–8 द्वारा की गई, जिन्होंने प्रदर्श पी–9 के अनुसार राय दी कि अभियोक्त्री की उम्र लगभग 15 वर्ष थी। स्कूल प्रवेश पंजी प्रदर्श पी–11 शिक्षक जनकलाल अभिसाक्षी–9 से जब्त की गई थी जिसमें अभियोक्त्री की जन्मतिथि 6.8.1988 दर्ज थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अन्वेषण पूरी होने के बाद, अपीलार्थी को उपरोक्त 3 अन्य सह–अभियुक्तों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (छ) के तहत अभियोजित किया गया। अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों की परीक्षण किया । विचारण न्यायालय ने निर्णय के कंडिका 14 में यह अवलोकन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी का यह बचाव कि उसने अभियोक्त्री की सहमति से यौन संबंध बनाए थे, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मद्देनजर विश्वसनीय था। उसने अस्थि–परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 और स्कूल प्रवेश पंजी प्रदर्श पी–11 (ग) में दर्ज जन्मतिथि पर अवलंब लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि घटना की तारीख

को अभियोक्त्री की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इन आधारों पर, विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कंडिका 1 में उपर्युक्त अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 सह–अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

7. श्री डी.के. ग्वालेरे, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोहरी दलील प्रस्तुत की। प्रथमतः, उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक पूर्व–व्यवस्थित योजना के तहत, अभियोक्त्री गोमती अभिसाक्षी–4 के साथ नदी के पास अपीलार्थी से मिलने गई थी और अपीलार्थी द्वारा यदि कोई यौन संबंध बनाया गया था, तो वह अभियोक्त्री की सहमति से था। द्वितीयतः, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कानून के तहत कानूनी रूप से अनुमेय त्रुटि मार्जिन को ध्यान में रखते हुए, अस्थि–परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 के आधार पर भी, यह खारिज नहीं किया जा सकता था कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियोक्त्री के पिता हेमलाल अभिसाक्षी–6 का जन्म से संबंधित साक्ष्य कंडिका 6 में जितना अस्पष्ट हो सकता था, उतना ही अस्पष्ट था। यह भी तर्क दिया गया कि जनकलाल अभिसाक्षी–9 के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 2 में दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चला कि स्कूल प्रवेश पंजी में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 6.8.1988 दर्ज करने का कोई आधार नहीं था, जिसे जन्म के प्रमाण का प्राथमिक साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। इन आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत सिद्धदोष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पाए जाने का आधार नहीं बन सकता। दूसरी ओर, श्री आशीष शुक्ला, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया।

8. प्रतिद्वंद्वी की दलीलें सुनने के बाद, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोमती अभिसाक्षी–4 की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अभियोक्त्री ने अपनी गवाही के कंडिका 13 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि गोमती ने अपीलार्थी के साथ उसकी मुलाकात की व्यवस्था की थी, जिसके परिणामस्वरूप वह गोमती अभिसाक्षी–4 के साथ नदी की ओर गई थी। उसने कंडिका 14 में यह भी स्वीकार किया कि यह योजना पूर्व– नियोजित थी। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 13 में, अभियोक्त्री ने फिर से इस तथ्य को स्वीकार किया कि विवाह घर में उसने और अपीलार्थी ने पहले ही मिलने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने यह तथ्य गोमती बाई को नहीं बताया था। उसने कंडिका 4 में यह भी स्वीकार किया कि जब अभियुक्त ने उसके साथ यौन संबंध बनाए, तो गोमती अभिसाक्षी–4 सह–अभियुक्तों के साथ सड़क पर खड़ी थी। गोमती अभिसाक्षी–4 ने गवाही दी कि जब वह अन्य सह–अभियुक्तों के साथ खड़ी थी, तो अभियोक्त्री अभियुक्त के साथ नदी की ओर चली गई और 15 मिनट बाद लौटने पर अभियोक्त्री ने उसे कुछ नहीं बताया। कंडिका 8 में उसने स्वीकार किया कि अभियोक्त्री ने उससे अभियुक्त के साथ मुलाकात की व्यवस्था करने पर जोर दिया था और रास्ते में कन्हैया से मिलने पर वह चुपचाप अपीलार्थी के साथ चली गई। हेमलाल, अभिसाक्षी–6, अभियोक्त्री के पिता ने कंडिका 11 में और सुखबाई अभिसाक्षी–13, अभियोक्त्री की मां ने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में इस बात से इनकार नहीं किया है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी से प्रेम करती थी। डॉ. श्रीमती एस. सावंत

अभिसाक्षी–14 की गवाही से यह भी पता चलता है कि अभियोक्त्री के शरीर पर या निजी अंगों पर कोई बाहरी चोट नहीं थी। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि अपीलार्थी ने 22.4.2004 को अभियोक्त्री की सहमति से यौन संबंध बनाए थे।

9. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी का भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोक्त्री ने अपनी गवाही के कंडिका 5 में कहा है कि उसने घटना की रात अपनी मां को घटना सुनाई थी और चूंकि उसके पिता लगभग एक सप्ताह तक घर नहीं लौटे थे, इसलिए रिपोर्ट पहले दर्ज नहीं की जा सकी। हालांकि, हेमलाल साहू अभिसाक्षी–6 ने अपनी गवाही के कंडिका 1 में कहा है कि वह घटना की तारीख के 2–3 दिन बाद घर लौटा था। घटना 22.4.2004 की थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट 29.4.2004 को दर्ज की गई थी, जबकि पुलिस थाना पाटन ग्राम सोनपुर से केवल 4 किलोमीटर दूर स्थित था। इस प्रकार इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में देरी का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। अभियोक्त्री ने कंडिका 15 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके पिता द्वारा लिखाई गई थी और उसने केवल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अब विचारणीय एकमात्र बिंदु घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र है। डॉ. श्रीमती एस. सावंत अभिसाक्षी–14 ने कहा है कि अभियोक्त्री की जांच करने पर, उन्होंने पाया कि सभी 32 दांत निकल चुके थे और अभियोक्त्री पूरी तरह विकसित महिला थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मोदी द्वारा लिखित मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के 22 वें संस्करण के पृष्ठ 49 पर अवलंब लिया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि तीसरे मोलर (दाढ़) या अक्ल दाढ़ 17 वें से 25 वें

वर्ष की उम्र में निकलती हैं। यह दर्शाता है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री कम से कम 17 वर्ष की थी। मोदी का अवलोकन इस मामले में निश्चित महत्व का है। डॉ. ए.के. साहू अभिसाक्षी–8 द्वारा की गई अस्थि–परीक्षा भी दर्शाती है कि अभियोक्त्री की अनुमानित उम्र लगभग 15 वर्ष बताई गई थी। यह स्थापित कानून है कि अस्थि–परीक्षा की रिपोर्ट में दी गई उम्र के अनुमान में दोनों ओर 2 वर्ष की कानूनी रूप से अनुमेय त्रुटि मार्जिन दिया जाना चाहिए।

11. शिक्षक जनकलाल अभिसाक्षी–9 के साक्ष्य अनुसार, जो स्कूल प्रवेश पंजी प्रदर्श पी–11 (ग) में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 6.8.1988 के रूप में दर्ज होने को साबित करने के लिए था, उनके प्रतिपरीक्षण के कंडिका 2 में दी गई गवाही महत्वपूर्ण है। जनकलाल अभिसाक्षी–9 ने कहा है कि वह यह बताने में असमर्थ थे कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि स्कूल प्रवेश पंजी में 6.8.1988 के रूप में किस आधार पर दर्ज की गई थी। हेमलाल अभिसाक्षी–6 की गवाही के कंडिका 6 में उसने स्वीकार किया है कि चंद्रशेखर अभिसाक्षी–5 उसका सबसे बड़ा बेटा 15.8.85 को पैदा हुआ था, जिसका अर्थ है कि चंद्रशेखर अभिसाक्षी–5 घटना की तारीख को लगभग 18 वर्ष और 8 महीने का था। अभियोक्त्री के जन्म के वर्ष के बारे में उसका साक्ष्य विरोधाभासी है क्योंकि एक जगह उसने कहा कि उसे अभियोक्त्री के जन्म की उम्र याद नहीं थी और उसके द्वारा बताई गई जन्मतिथि में एक या दो साल का अंतर हो सकता है। सुखबाई अभिसाक्षी–13 ने गवाही दी कि अभियोक्त्री चंद्रशेखर से 4 साल छोटी थी, जबकि हेमलाल अभिसाक्षी–6 ने अंतर लगभग 3 साल बताया। हेमलाल अभिसाक्षी–6 और सुखबाई अभिसाक्षी–13 की गवाही अस्पष्ट है। अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य के कंडिका 8 में उपरोक्त गवाही का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जोरदार विरोधाभासी खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि उसका भाई चंद्रशेखर लगभग 19–20 वर्ष का था और वह उससे डेढ़ साल छोटी थी। गांव में कोटवार द्वारा रखी गई जन्म पंजी को इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है।

12. डॉ. श्रीमती एस. सावंत अभिसाक्षी–14 द्वारा दर्ज निष्कर्ष, अस्थि–परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 में कानूनी रूप से अनुमेय त्रुटि मार्जिन, हेमलाल अभिसाक्षी–6 सुखबाई अभिसाक्षी–13 और अभियोक्त्री के विरोधाभासी साक्ष्य और मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में अवलोकन के दृष्टिगत, यह इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र लगभग 17 वर्ष या उससे अधिक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य पर समग्र रुप से विचार करने के बाद, मेरा सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस संभावना को खारिज नहीं करता है कि अपीलार्थी द्वारा यदि कोई यौन संबंध बनाया गया था, तो वह अभियोक्त्री की सहमति से था और घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र 17 वर्ष या उससे अधिक थी। ऐसी स्थिति में, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई सजा को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

14. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके तहत दी गई सजा अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में

आवश्यकता न हो, तो अपीलार्थी को अविलंब रिहा किया जावे। जुर्माना, यदि चुका दिया गया हो तो अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर /–
(दिलीप रावसाहेब देशमुख)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMAN DESHMUKH